न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर ।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 08 / 2022 (2022 / 5)

<u>अपीलान्ट</u> :–
1. सोहनलाल पुत्र श्री घमण्डाराम
2. किशनलाल पुत्र श्री घमण्डाराम
3. जगदीश पुत्र श्री घमण्डाराम
4. कानाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
5. खेताराम पुत्र श्री घमण्डाराम
6. लूणाराम पुत्र श्री घमण्डाराम

जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

7. किशोरसिंह पुत्र श्री घासीराम, जाति माली, निवासी सोढ़ो की ढ़ाणी, कालीबेरी, जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्टः</u>–

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.05.2018 जो तहसीलदार लूणी द्वारा मुकदमा क्रमांक भू.अ. / रा.लो.अ. / 18 / 96 में पारित करते हुए गांव सालावास की संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन आदेश पारित किया ।

<u>उपस्थिति</u> :–
1. अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार एवं प्रेमकुमार देवड़ा (अपीलार्थीपक्ष)।

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :–16.02.2022

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश दिनांक 04.05.2018 जो तहसीलदार लूणी द्वारा मुकदमा क्रमांक भू.अ. / रा.लो.अ. / 18 / 96 में पारित करते हुए गांव सालावास की संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन आदेश पारित किया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है एवं प्रार्थना पत्र बाबत् डिस्पेंसविथ करने प्रमाणित नकल हेतु भी प्रस्तुत किया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, में मूल खसरा संख्या 47 कुल रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा थी। सन् 2018 में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान के समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण को बताया कि कुछ आंकड़े दिये गये हैं जिनके तहत आपकी सह खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा किया जा सकता हैं इस कारण से उक्त अभियान में बंटवाड़ा [illegible] लिया जावें। अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का द्वारा बताये गये दस्तावेज अनुसार [illegible] पर हस्ताक्षर कर दिये गये पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा की जाने वाली भूमि का कोई नजरी नक्शा अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

नहीं दिखाया गया था। पटवारी हल्का द्वारा जो बंटवाड़ा बनाकर पेश किया गया उस बंटवाड़ें में सभी खातेदारों के आने जाने हेतू किसी प्रकार के रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया। अपीलार्थीगण उक्त बंटवाड़ा अनुसार मौके पर आज दिन भी काबिज नहीं हैं हाल ही में दिनांक 02.01.2022 को अपीलार्थीगण मौके पर अलग अलग काबिज होने के लिये एकत्रित हुए एवं वर्तमान पटवारी हल्का को भी बुलाया गया लेकिन वर्तमान पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड की नकलें देखकर बताया कि आपकी जमीनों के कुल छः भाग तो कर दिये गये लेकिन आने जाने की रास्ते की भूमि का कोई प्रावधान नहीं रखा गया हैं उक्त बंटवाड़ा अनुसार ही आपको मौके पर काबिज होना पड़ेगा। रास्ते के अभाव में अपीलार्थीगण के मध्य अनावश्यक ही विवाद पैदा हो गया हैं इसी आधार पर उक्त बंटवाड़ा खारिज किये जाने योग्य हैं।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसीलदार लूणी से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 15.02.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि उक्त बंटवाड़ा राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत पटवारी हल्का ने अपने आंकड़े पूरे करने के लिया करवा दिया लेकिन उस समय किसी प्रकार का कोई नजरी नक्शा बंटवाड़ा की जाने वाली भूमि का नहीं बनाया गया तथा बाद में पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से ही नजरी नक्शा बना दिया गया जिस बंटवाड़ा में सभी खातेदारों के आने जाने हेतु रास्ते के कोई प्रावधान नहीं रखे गये एवं उक्त बंटवाड़ा अनुसार सभी खातेदारों मौके पर काबिज नहीं हैं एवं मौके की स्थिति एवं रेकर्ड की स्थिति में भिन्नता हैं। रास्ते के अभाव में सभी खातेदारों को अपने बंट में आए आराजी में आने जाने हेतु रास्ते का विवाद उत्पन्न हो गया हैं। उक्त बंटवाड़ा में जो पक्षकार थे वहीं पक्षकार वर्तमान अपील में भी हैं एवं उक्त बंटवाड़ा खारिज करवाने बाबत् सभी खातेदार सहमत हैं।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य तथ्य यह हैं कि बंटवाड़ा जो कि तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया हैं उक्त बंटवाड़ा को देखने से ही स्पष्ट हो जाता हैं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सभी खातेदारों के हिस्से की आराजी का विभाजन तो कर दिया लेकिन आने जाने के रास्ते के कोई प्रावधान नहीं रखे गये। जिन सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हुआ वे सभी बंटवाड़ा को निरस्त करवाने के लिए सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है, जो स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार लूणी द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश क्रमांक भू.अ./रा.लो.अ./18/96 दिनांक 04.05.2018 को निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल बंटवाड़ा आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested